



भारत सरकार /Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग /Department of Atomic Energy
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र/Variable Energy Cyclotron Centre
सीएचएसएस अनुभाग / CHSS Section



1/ एएफ, बिधान नगर/1/AF, Bidhan Nagar,
कोलकाता/Kolkata – 700 064

सं./Ref./वीईसीसी/VECC/प्रशा./Admn./सीएचएसएस/CHSS/2026/05

जून June 16, 2026

परिपत्र/CIRCULAR

विषय: ₹10,000/- से अधिक मूल्य की ओ.पी.डी. दवाओं, इंजेक्शन और इम्प्लांट के रीडम्बर्समेंट क्लेम जमा करने के संबंध में।

Subject: Submission of High-Value OPD Reimbursement Claims (Above ₹10,000/-) for Medicines, Injections, and Implants.

वर्तमान में, ऑडिट आपत्तियों से बचने और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, VECC के पैनल में शामिल अस्पतालों को आई.पी.डी. (IPD) बिलों के साथ महंगी दवाओं, स्टेंट और इम्प्लांट के मूल इनवॉइस (Original Invoices) और बारकोड सहित मूल कार्टन (Original Carton) जमा करना अनिवार्य है।

Presently, empanelled hospitals of VECC must submit original invoices and original cartons with barcodes for costly medicines, stents, and implants with IPD bills to prevent audit objections and verify authenticity.


2. यह संज्ञान में आया है कि लाभार्थी उच्च मूल्य वाली ओ.पी.डी. (OPD) दवाओं, इंजेक्शन और इम्प्लांट के रीडम्बर्समेंट क्लेम बिना मूल कार्टन या बारकोड के जमा कर रहे हैं, क्योंकि ओ.पी.डी. के लिए ऐसा कोई नियम पहले मौजूद नहीं था।

It has been observed that beneficiaries are submitting high-value OPD reimbursement claims without original cartons or barcodes, as no such provision previously existed for OPD cases.

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस मामले की समीक्षा की गई है। तदनुसार, सभी पुरुसार्कें सीएचएसएस लाभार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ओ.पी.डी. मामलों में ₹10,000/- से अधिक मूल्य की किसी भी दवा, इंजेक्शन या इम्प्लांट के रीडम्बर्समेंट क्लेम के साथ मूल जीएसटी इनवॉइस (Original GST Invoice) और बारकोड सहित मूल कार्टन (Original Carton with Barcode) अनिवार्य रूप से जमा करें।

The Competent Authority has reviewed the matter. Accordingly, all VECC CHSS beneficiaries are hereby directed to submit the **original GST invoice** along with the **original carton with its barcode** for any single medicine, injection, or implant costing more than **Rs. 10,000/-** claimed under OPD reimbursement.

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Competent Authority.


16/06/26

(सचिन जी. दिवाडकर / Sachin G. Diwadkar)
सहायक कार्मिक अधिकारी/Assistant Personnel Officer

वीईसीसी के सभी सीएचएसएस लाभार्थी : नोटिस बोर्ड/वेबसाइट के माध्यम से।
All CHSS Beneficiaries of VECC : Through Notice Boards/website.

प्रतिलिपि/Copy to :-

1. निदेशक का कार्यालय, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Director's Office, VECC, Kolkata.
2. सभी वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रमुख, वी.ई.सी.सी., कोलकाता/
Heads of Groups/Divisions/Sections, VECC, Kolkata.
3. वी.ई.सी.सी., कोलकाता स्थित प.ऊ.वि. की अन्य इकाइयों के वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रमुख/
Heads of Groups/Divisions/Sections of other DAE Units stationed at VECC, Kolkata.
4. उप लेखा नियंत्रक, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Dy. Controller of Accounts, VECC, Kolkata.
5. प्रशासनिक अधिकारी, आरआरएससी-ईस्ट, ईसरो, न्यू टाऊन, कोलकाता-700163/
Administrative Officer, RRSC-East, ISRO, New Town, Kolkata-700163.
6. उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Dy. Chief Security Officer, VECC, Kolkata.
7. सहायक निदेशक (राभा), वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Asstt. Director (OL), VECC, Kolkata.
8. क्रय अधिकारी, सी.आर.पी.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/Purchase Officer, CRPU, DPS, Kolkata.
9. भंडार अधिकारी, सी.आर.एस.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/ Stores Officer, CRSU, DPS, Kolkata.
10. सहायक लेखा अधिकारी, सी.आर.ए.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/ Assistant Accounts Officer, CRAU, DPS, Kolkata.
11. प्रभारी अधिकारी, एएमडी, कोलकाता/Officer-in-Charge, AMD, Kolkata.
12. प्रभारी अधिकारी, एनपीसीआईएल (क्यूएस), कोलकाता/Officer-in-Charge, NPCIL (QS), Kolkata.
13. सचिव, वीईसीसी कर्मचारी संगठन/Secretary, VECC Staff Association.
14. सचिव, अणुशक्ति, डॉ. बी.आर. अंबेदकर, एस.सी./एस.टी. कर्मचारी कल्याण संगठन, वीईसीसी /
Secretary, Anushakti, Dr. B. R. Ambedkar, SC/ST Employees Welfare Association